


आदेश	कार्यवाही विवरण सुभाष बनाम मन्जू देवी आदि प्रकरण संख्या 121/2012	अनुपालना के कमांक एवं दिनांक
17-12-21	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी को बार-बार रूक-रूक कर आवाज लगवाई गई। परन्तु ना तो वादी उपस्थित ना ही वकील वादी उपस्थित न्यायालय नहीं होने पर स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद को चलाने में कोई रूची नहीं है। अतः फलस्वरूप वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ</p>	

